

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 7, 2015/पौष 17, 1936

No. 13]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 7, 2015/PAUSHA 17, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 13(अ).—भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के तारीख 13.11.2014 का सा.का.नि. अधिसूचना सं. 796(अ)—

निम्नलिखित के स्थान पर "सदस्यों के लिए वेतन वृद्धि की तारीख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी तथा इसे ध्यान में रखते हुए रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 में भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है. यह प्रमाणित किया जाता है कि, इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से रेल दावा अधिकरण के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा".

[सं. 2013/टीसी(आरसीटी)/1-7]

अशोक चौधरी, कार्यपालक निदेशक, (लोक शिकायत, रेलवे बोर्ड)

स्पष्टीकारक ज्ञापन"

पढ़ें

"[सं. 2013/टीसी(आरसीटी)/1-7]

अशोक चौधरी, कार्यपालक निदेशक, (लोक शिकायत, रेलवे बोर्ड)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

सदस्यों के लिए वेतन वृद्धि की तारीख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी तथा इसे ध्यान में रखते हुए रेल दावा अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ता तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 में भूतलक्षी रूप से संशोधन किया जा रहा है. यह प्रमाणित किया जाता है कि, इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से रेल दावा अधिकरण के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा."

[सं. 2013/टीसी(आरसीटी)/1-7]

अशोक चौधरी, कार्यपालक निदेशक, (लोक शिकायत, रेलवे बोर्ड)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 6th January, 2015

G.S.R. 13(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) number G.S.R. 796 (E) dated the 13th November, 2014,—

for “The date of increment for the Members shall be the 1st July of every year in line with that of the Central Government employees and in view of this, the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 are being amended retrospectively. It is certified that, by giving this notification retrospective effect, no Member shall be adversely affected.

[No. 2013/TC(RCT)/1-7]

ASHOK CHOWDHRY, Executive Director, (Public Grievances, Railway Board)

Explanatory Memorandum*read as*

“[No.2013/TC(RCT)/1-7]

ASHOK CHOWDHRY, Executive Director, (Public Grievances, Railway Board)

Explanatory Memorandum

“The date of increment for the Members shall be the 1st July of every year in line with that of the Central Government employees and in view of this, the Railway Claims Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989 are being amended retrospectively. It is certified that, by giving this notification retrospective effect, no Member shall be adversely affected.”

[No. 2013/TC(RCT)/1-7]

ASHOK CHOWDHRY, Executive Director, (Public Grievances, Railway Board)